"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 जुलाई 2017 — आषाढ़ 13, शक 1939

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

   (3) ये नियम कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के उन समस्त सदस्यों पर लागू होंगे, जो विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे है।

2. **परिभाषाएं.**- इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) पुनरीक्षित वेतन संरचना में **"मूल वेतन"** से अभिप्रेत है वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित वेतन, किन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे-विशेष वेतन, आदि शामिल नहीं है;

   (ख) **"विद्यमान मूल वेतन"** से अभिप्रेत है वह वेतन, जो निर्धारित विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में आहरित किया जाता है, किन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन, आदि शामिल नहीं है;

   (ग) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में **"विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन"** से अभिप्रेत है ऐसा वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन, जो सेवा के सदस्य द्वारा इन नियमों की अधिसूचना के ठीक पहले की तारीख को, धारित पद पर लागू हो।

(ग) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में "**विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन**" से अभिप्रेत है ऐसा वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन, जो सेवा के सदस्य द्वारा इन नियमों की अधिसूचना के ठीक पहले की तारीख को, धारित पद पर लागू हो;

(घ) सेवा के किसी सदस्य के संबंध में "**विद्यमान वेतन संरचना**" से अभिप्रेत है इन नियमों के प्रवृत्त होने के ठीक पहले की तारीख को, सेवा के सदस्य द्वारा धारित पद के लिये लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान पद्धति;

(ड.) "**विद्यमान परिलब्धियों**" से अभिप्रेत है (एक) विद्यमान मूल वेतन और (दो) 1 जनवरी, 2016 के अनुसार सूचकांक औसत में विद्यमान महंगाई भत्ता का योग;

(च) वेतन मैट्रिक्स में "**लेवल**" से अभिप्रेत है अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के तत्स्थानी लेवल;

(छ) "**सेवा का सदस्य**" से अभिप्रेत है कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा का सदस्य, जो विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहा हो;

(ज) "**वेतन मैट्रिक्स**" से अभिप्रेत है अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स, तत्स्थानी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए यथा समनुदेशित लंबवत् कोष्ठिकाओं में व्यवस्थित वेतन लेवल सहित;

(झ) "**लेवल में वेतन**" से अभिप्रेत है अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन;

(ञ) "**पुनरीक्षित परिलब्धियों**" से अभिप्रेत है पुनरीक्षित वेतन संरचना में सेवा के किसी सदस्य के लेवल में वेतन;

(ट) किसी पद के संबंध में "**पुनरीक्षित वेतन संरचना**" से अभिप्रेत है उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स

और उसमें विनिर्दिष्ट लेवल, जब तक कि उस पद के लिए कोई भिन्न लेवल पृथक से अधिसूचित न किया गया हो;

(ठ) **''सेवा''** से अभिप्रेत है, कर्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा; और

(ड) **''अनुसूची''** अभिप्रेत है इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची।

3. **पदों के लेवल**.– पदों के लेवल का निर्धारण, उन विभिन्न लेवलों के अनुसार किया जायेगा, जो कि तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में यथा विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए समनुदेशित हों।

4. **पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का आहरण**.– कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा का प्रत्येक सदस्य, पुनरीक्षित वेतन संरचना में, उसके नियुक्ति के पद पर लागू लेवल में, वेतन आहरित करेगा :

परन्तु यह कि सेवा का कोई सदस्य, विद्यमान वेतन संरचना में उसकी आगामी या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उस पद को रिक्त करने तक अथवा उस विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण बन्द करने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करने का चयन कर सकता है:

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में जहां सेवा के सदस्य को दिनांक 1 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों के अधिसूचना की तिथि के बीच पदोन्नति अथवा स्तरोन्नयन के फलस्वरूप, उच्चतर ग्रेड वेतन में रखा गया है, सेवा का कोई सदस्य ऐसी पदोन्नति अथवा स्तरोन्नयन की तारीख से, जैसी भी स्थिति हो, पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने का विकल्प चुन सकता है।

स्पष्टीकरण:–

(1) इस नियम के परन्तुकों के अधीन विद्यमान वेतन संरचना प्रतिधारित करने का विकल्प, केवल एक ही विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के संबंध में अनुज्ञेय होगा ।

(2) उपर्युक्त विकल्प, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में अनुज्ञेय नहीं होगा जो 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् चाहे शासकीय सेवा में प्रथम बार या किसी अन्य पद से स्थानांतरण द्वारा, नियुक्त किया गया है, उसे केवल पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन अनुज्ञेय होगा।

5. **विकल्प का प्रयोग**.– (1) नियम 4 के परन्तुकों के अधीन विकल्प का प्रयोग, इन नियमों के अनुसूची–दो में संलग्न प्रारूप में, लिखित में, इस तरह किया जाएगा कि इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर या जहां विद्यमान वेतन संरचना इस तारीख के पश्चात् किये गये किसी आदेश द्वारा पुनरीक्षित किया गया हो, वहां ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के भीतर उप–नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए:

परन्तु,–

(एक) सेवा के किसी ऐसे सदस्य के मामले में, जो यथास्थिति इन नियमों के प्रकाशन की तारीख या ऐसे आदेश की तारीख पर अवकाश में हो या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति में हों, उक्त विकल्प का प्रयोग इस प्रकार से कर सकेगा कि राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा उस पद पर कार्यभार ग्रहण करने के तीन मास के भीतर, संबंधित प्राधिकारी को लिखित में प्राप्त हो जाए;

(दो) जहां सेवा का कोई सदस्य, 1 जनवरी, 2016 को निलंबनाधीन हो, वहां विकल्प का प्रयोग उसके कर्त्तव्य पर वापसी की तारीख से तीन माह के भीतर किया जा सकेगा यदि वह तारीख उस तारीख के बाद की हो जो इस उप–नियम में विहित की गई है; तथा

(तीन) सेवा के ऐसे सदस्य, जो 1 जनवरी, 2016 के पश्चात् और इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, भी इस नियम के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिये पात्र होंगे।

(2) सेवा के किसी सदस्य द्वारा विकल्प उसके कार्यालय प्रमुख को संसूचित किया जायेगा।

(3) यदि विकल्प के संबंध में सूचना, उप–नियम (1) में उल्लिखित समयावधि के अंदर प्राप्त नहीं होता हो, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है।

(4) एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा। विकल्प में कांट–छांट या उपरिलेखन स्वीकार्य नहीं होगा।

टिप्पणी 1– वे व्यक्ति, जिनकी सेवायें 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् समाप्त कर दी गईं हैं और जो विहित की गई समय सीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग, स्वीकृत पदों की समाप्ति पर सेवोन्मुक्त कर दिये जाने, पद त्याग, पदच्युति अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति होने के कारण नहीं कर सके थे, इस नियम का लाभ उठाने के हकदार हैं।

टिप्पणी 2– ऐसे व्यक्ति, जिनकी मृत्यु 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् हो गई हो तथा जिनके द्वारा विहित समयावधि में विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा सका हो, के संबंध में, यदि पुनरीक्षित वेतन संरचना अधिक अनुकूल है, यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना के लिये विकल्प का प्रयोग 1 जनवरी, 2016 से या उसके पश्चात्‌वर्ती किसी तिथि से, यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा अधिक लाभप्रद पाया जाये, किया गया है, और तद्नुसार उसका वेतन नियत किया जा सकेगा ।

6. **पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण**.– (1) सेवा के ऐसे सदस्य का जो दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन करता है या जिसके बारे में नियम 5 के उप–नियम (3) के अन्तर्गत यह समझा जाता है कि उसने पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन कर लिया है, उस दशा के सिवाय, जहां राज्य सरकार विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दें, प्रारंभिक वेतन का नियतन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा, अर्थात्ः–

(एक) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल में वेतन वह होगा जो विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार से प्राप्त संख्या को निकटतम रूपये में पूर्णाकिंत करने पर प्राप्त हो तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को वेतन मैट्रिक्स में उसी लेवल में रखा जायेगा और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में कोई समरूप राशि हो तो वही वेतन होगा, और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक उच्चतर कोष्ठिका में किया जायेगा।

उदाहरणः–

1	विद्यमान वेतन बैंड : पीबी–1	पे बैंड	5200–20200				
2	विद्यमान ग्रेड वेतन : 1800	ग्रेड पे	1800	1900	2200	2400	2800
3	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन : 6330	लेवल	3	4	5	6	7
		1	18000	19500	22400	25300	28700
4	विद्यमान मूल वेतन : 8130 (6330 + 1800)	2	18500	20100	23100	26100	29600
		3	19100	20700	23800	26900	30500
5	2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन : 8130 X 2.57 = 20894.10 (20894 में पूर्णांकित)	4	19700	21300	24500	27700	31400
		5	20300	21900	25200	28500	32300
		6	**20900**	22600	26000	29400	33300
		7	21500	23300	26800	30300	34300
6	ग्रेड वेतन 1800 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 3	8	22100	24000	27600	31200	35300
		9	22800	24700	28400	32100	36400
7	वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन (लेवल 3 में या तो 20894 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि) : 20900	10	23500	25400	29300	33100	37500
		11	24200	26200	30200	34100	38600

(दो) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम वेतन या प्रथम कोष्ठिका की राशि, उपर्युक्त उप–खंड (एक) के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन, इस प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन पर अथवा प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा।

(2) सेवा का कोई सदस्य जो दिनांक 1 जनवरी, 2016 को अवकाश पर है और उसे अवकाश वेतन की पात्रता है, दिनांक 1 जनवरी, 2016 अथवा पुनरीक्षित वेतन संरचना में विकल्प देने की तारीख से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करने का पात्र होगा।

(3) निलंबित सेवा का कोई सदस्य, विद्यमान वेतनमान अथवा वेतन संरचना के आधार पर जीवन निर्वाह (निलंबन) भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

(4) यदि सेवा के किसी सदस्य की विद्यमान परिलब्धियां, पुनरीक्षित परिलब्धियों से अधिक हैं, तो अंतर की राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में मान्य किया जायेगा जिसका समायोजन भविष्य की वेतनवृद्धियों में किया जाएगा।

(5) जहां सेवा के ऐसे सदस्य, जो दिनांक 1 जनवरी, 2016 से ठीक पहले उसी संवर्ग के किसी कनिष्ठ सदस्य से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तथा उप–नियम (1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन, ऐसे कनिष्ठ सदस्य से नीचे की कोष्ठिका पर निर्धारित हुआ हो, उसका वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में कनिष्ठ सदस्य के समान कोष्ठिका तक बढ़ा दिया जायेगा।

(6) जहां सेवा का कोई सदस्य इन नियमों की अधिसूचना के ठीक पहले की तारीख को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा है और यदि व्यक्तिगत वेतन को विद्यमान परिलब्धियों में शामिल करने से इसका योग पुनरीक्षित परिलब्धियों से अधिक होता है, तो उक्त आधिक्य के समान अन्तर की राशि उस सेवा

के सदस्य को व्यक्तिगत वेतन के रूप में मान्य किया जाएगा, जिसका समायोजन भविष्य की वेतनवृद्धियों में किया जाएगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहां किसी वरिष्ठ सदस्य की पदोन्नति उच्च पद पर दिनांक 1 जनवरी, 2016 के पूर्व हुई है और पुनरीक्षित वेतन संरचना में अपने ऐसे कनिष्ठ से कम वेतन आहरित करता है जिसकी पदोन्नति उच्च पद पर दिनांक 1 जनवरी, 2016 के बाद में हुई है, तो उस वरिष्ठ सदस्य का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन में वृद्धि कर उतना कर दिया जाएगा जितना कि उससे कनिष्ठ सदस्य का उच्च पद पर निर्धारित हुआ है। ऐसी वृद्धि कनिष्ठ सदस्य की पदोन्नति की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन की जायेगी, अर्थात्:-

(क) वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सदस्य एक ही संवर्ग के हों तथा जिस पद पर उनकी पदोन्नति हुई है, वह पद भी एक ही संवर्ग का समान पद हो।

(ख) उच्च एवं निम्न पदों का विद्यमान वेतन संरचना तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना जिस पर वेतन आहरण की पात्रता है, समरूप हों।

(ग) वरिष्ठ सदस्य का पदोन्नति के समय वेतन, कनिष्ठ सदस्य के वेतन के बराबर अथवा उससे अधिक हो।

(घ) विसंगति सीधे तौर पर मूलभूत नियम 22 के प्रावधानों अथवा पुनरीक्षित वेतन संरचना में ऐसी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के विनियमन से संबंधित किसी नियम या आदेश को लागू करने के कारण हो:

परन्तु यदि विद्यमान वेतन संरचना में कनिष्ठ सदस्य उसे स्वीकृत किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के फलस्वरूप वरिष्ठ सदस्य से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तो इस टिप्पणी के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ सदस्य के वेतन में वृद्धि नहीं की जायेगी।

7. **दिनांक 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् नवनियुक्त सेवा के सदस्यों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण.**— दिनांक 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् किसी निर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त सेवा के सदस्य का वेतन, उस पद, जिसमें ऐसा सदस्य नियुक्त किया गया हो, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन पर या प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगाः

परन्तु जहां 1 जनवरी, 2016 को या इसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त सेवा के ऐसे सदस्य का विद्यमान वेतन, विद्यमान वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद पर जिस पर उसे 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतनमान अथवा प्रथम कोष्ठिका से अधिक होती है, ऐसी अंतर की राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में अनुज्ञात किया जायेगा, जिसे भविष्य में होने वाली वेतन वृद्धियों में समायोजित किया जायेगा।

8. **वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धि.**— वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल की खड़ी कोष्ठिकाओं में विनिर्दिष्ट अनुसार दी जायेगी।

लेवल 6 में 33100 रूपये मूल वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी उसी लेवल में लंबवत नीचे की ओर कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात उसका मूल वेतन 34100 रूपए हो जायेगा।

पे बैंड	5200—20200				
ग्रेड पे	1800	1900	2200	2400	2800
लेवल	3	4	5	6	7
1	18000	19500	22400	25300	28700
2	18500	20100	23100	26100	29600
3	19100	20700	23800	26900	30500
4	19700	21300	24500	27700	31400
5	20300	21900	25200	28500	32300
6	20900	22600	26000	29400	33300
7	21500	23300	26800	30300	34300
8	22100	24000	27600	31200	35300
9	22800	24700	28400	32100	36400
10	23500	25400	29300	**33100**	37500
				↓	
11	24200	26200	30200	**34100**	38600

9. **पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतनवृद्धि की तारीख.**– (1) 1 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाईः

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को उसकी नियुक्ति, पदोन्नति या स्तरोन्नयन के तारीख के आधार पर या तो 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।

(2) सेवा का ऐसा सदस्य जिसकी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा स्वीकृत वित्तीय स्तरोन्नयन, 2 जनवरी और 1 जुलाई (दोनों दिन शामिल) के बीच में हुई है, के मामले में, वेतन वृद्धि 1 जनवरी को दी जायेगी तथा ऐसा सदस्य जिसकी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा स्वीकृत वित्तीय स्तरोन्नयन, 2 जुलाई और 1 जनवरी (दोनों दिन शामिल) के बीच में हुई है, के मामले में, वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दी जायेगी।

उदाहरणः

(क) सेवा का ऐसा सदस्य जिसे 2 जुलाई, 2016 और 1 जनवरी, 2017 की बीच की अवधि में नियुक्ति अथवा सामान्य पदक्रम में पदोन्नति दी गई है अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृति दी गई है, के मामले में, प्रथम वेतनवृद्धि की पात्रता 1 जुलाई, 2017 को होगी तथा इसके पश्चात एक वर्ष के अंतराल में वार्षिक आधार पर देय होगी।

(ख) सेवा का ऐसा सदस्य जिसे 2 जनवरी, 2016 और 1 जुलाई, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति अथवा सामान्य पदक्रम में पदोन्नति दी गई है अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृति दी गई है, यदि उसने 1 जुलाई, 2016 को कोई वेतनवृद्धि आहरित नहीं की है, के मामले में, आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता 1 जनवरी, 2017 को होगी तथा इसके पश्चात एक वर्ष के अंतराल में वार्षिक आधार पर देय होगीः

परन्तु सेवा के ऐसे सदस्य जिनके मामले में 1 जनवरी को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारित किया गया है, उस लेवल

में जिसमें ऐसा वेतन 1 जनवरी, 2016 को निर्धारित किया गया था, आगामी वेतनवृद्धि 1 जुलाई, 2016 को प्राप्त होगी:

परन्तु यह और कि 1 जुलाई, 2016 को वेतनवृद्धि आहरित करने के पश्चात आगामी वेतनवृद्धि 1 जुलाई, 2017 को देय होगी।

10. **पुनरीक्षित वेतन संरचना में 1 जनवरी, 2016 के पश्चात वेतन का नियतन**.— जहां सेवा का कोई सदस्य, विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना जारी रखता है और 1 जनवरी, 2016 के पश्चातवर्ती किसी तारीख से पुनरीक्षित वेतन संरचना में लाया जाता है, वहां पुनरीक्षित वेतन संरचना में पश्चात्वर्ती तारीख से उसका वेतन निर्धारण, नियम 6 के उप–नियम (1) के खण्ड (एक) में विहित रीति से किया जायेगा।

11. **1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् पदोन्नति पर वेतन निर्धारण**— पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक लेवल से दूसरे लेवल में पदोन्नति के मामले में वेतन निर्धारण हेतु जिस लेवल से सेवा का कोई सदस्य पदोन्नत होता है, उस लेवल में एक वेतनवृद्धि दी जायेगी और उसे उस पद पर जिसमें पदोन्नति दी गई है, के लेवल में इस प्रकार से प्राप्त राशि के समतुल्य कोष्ठिका में रखा जायेगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल में जिसमें पदोन्नति दी गई है, उपलब्ध नहीं है तो उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जायेगा।

उदाहरण:—

1	पुनरीक्षित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 3	वेतन बैंड	5200—20200				
2	पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन : 20900	ग्रेड वेतन	1800	1900	2200	2400	2800
3	लेवल 4 में पदोन्नति स्वीकृत	लेवल	3	4	5	6	7
		1	18000	19500	22400	25300	28700
4	लेवल 3 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन : 21500	2	18500	20100	23100	26100	29600
		3	19100	20700	23800	26900	30500
5	उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 4 में वेतन : 21900 (लेवल 3 में 21500 के बराबर या उससे उच्चतर राशि)	4	19700	21300	24500	27700	31400
		5	20300	**21900**	25200	28500	32300
		6	**20900**	22600	26000	29400	33300
		7	**21500**	23300	26800	30300	34300
		8	22100	24000	27600	31200	35300
		9	22800	24700	28400	32100	36400
		10	23500	25400	29300	33100	37500
		11	24200	26200	30200	34100	38600

12. **वेतन के बकाया के भुगतान की रीति.**– वेतन के बकाया का भुगतान, इस संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरांत, किया जाएगा और इस हेतु अलग से आदेश जारी किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण.– इस नियम के प्रयोजन हेतु सेवा के किसी सदस्य के संबंध में, ''**बकाया वेतन**'' से अभिप्रेत है निम्न का अन्तरः–

(एक) इन नियमों के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि हेतु वेतन एवं महंगाई भत्ते को जोड़, जिसकी उसे पात्रता है; तथा

(दो) उस अवधि में वेतन एवं महंगाई भत्ते को जोड़, जिनकी उसे पात्रता होती (चाहे ऐसे वेतन एवं महंगाई भत्तों का भुगतान प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं) यदि उसके वेतन तथा भत्ते का इस प्रकार पुनरीक्षण नहीं किया गया होता।

13. **शिथिल करने की शक्ति.**– राज्य सरकार, सेवा के सदस्यों या सेवा के सदस्यों के प्रवर्ग के मामलों में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबंध का प्रवर्तन ऐसी रीति से और ऐसी सीमा तक शिथिल या निलंबित कर सकेगी जैसा कि उसे लोकहित में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण या आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

14. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो तो वह शासन के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव.

अनुसूची—एक

वेतन मैट्रिक्स

पे बैंड	4750—7440		5200—20200					9300—34800
ग्रेड पे	1300	1400	1800	1900	2200	2400	2800	4200
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8
1	15600	16100	18000	19500	22400	25300	28700	35400
2	16100	16600	18500	20100	23100	26100	29600	36500
3	16600	17100	19100	20700	23800	26900	30500	37600
4	17100	17600	19700	21300	24500	27700	31400	38700
5	17600	18100	20300	21900	25200	28500	32300	39900
6	18100	18600	20900	22600	26000	29400	33300	41100
7	18600	19200	21500	23300	26800	30300	34300	42300
8	19200	19800	22100	24000	27600	31200	35300	43600
9	19800	20400	22800	24700	28400	32100	36400	44900
10	20400	21000	23500	25400	29300	33100	37500	46200
11	21000	21600	24200	26200	30200	34100	38600	47600
12	21600	22200	24900	27000	31100	35100	39800	49000
13	22200	22900	25600	27800	32000	36200	41000	50500
14	22900	23600	26400	28600	33000	37300	42200	52000
15	23600	24300	27200	29500	34000	38400	43500	53600
16	24300	25000	28000	30400	35000	39600	44800	55200
17	25000	25800	28800	31300	36100	40800	46100	56900
18	25800	26600	29700	32200	37200	42000	47500	58600
19	26600	27400	30600	33200	38300	43300	48900	60400
20	27400	28200	31500	34200	39400	44600	50400	62200
21	28200	29000	32400	35200	40600	45900	51900	64100
22	29000	29900	33400	36300	41800	47300	53500	66000
23	29900	30800	34400	37400	43100	48700	55100	68000
24	30800	31700	35400	38500	44400	50200	56800	70000
25	31700	32700	36500	39700	45700	51700	58500	72100
26	32700	33700	37600	40900	47100	53300	60300	74300
27	33700	34700	38700	42100	48500	54900	62100	76500
28	34700	35700	39900	43400	50000	56500	64000	78800
29	35700	36800	41100	44700	51500	58200	65900	81200
30	36800	37900	42300	46000	53000	59900	67900	83600
31	37900	39000	43600	47400	54600	61700	69900	86100
32	39000	40200	44900	48800	56200	63600	72000	88700
33	40200	41400	46200	50300	57900	65500	74200	91400
34	41400	42600	47600	51800	59600	67500	76400	94100
35	42600	43900	49000	53400	61400	69500	78700	96900
36	43900	45200	50500	55000	63200	71600	81100	99800
37	45200	46600	52000	56700	65100	73700	83500	102800
38	46600	48000	53600	58400	67100	75900	86000	105900
39	48000	49400	55200	60200	69100	78200	88600	109100
40	49400	50900	56900	62000	71200	80500	91300	112400

अनुसूची—दो

विकल्प का प्रारूप

(नियम—5 देखिये)

मैं ---------------------------------- एतदद्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरण का चयन करता/करती हूं।

या

मैं -- एतदद्वारा अपने मूल/स्थानापन्न पद --- के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को

*(क) मेरी आगामी वेतनवृद्धि की तारीख तक

या *(ख) मेरा बैंड वेतन रूपये ------------------------ तक बढ़ने वाली उत्तरवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक

या *(ग) मेरे द्वारा पद रिक्त किये जाने तक या विद्यमान बैंड वेतन और ग्रेड वेतन --------------------------------- में वेतन आहरित करना छोड़ने तक जारी रखने का चयन करता/करती हूं।

स्थान -----------------------

तारीख -----------------------

हस्ताक्षर -----------------------

नाम -------------------------

पदनाम -----------------------

कार्यालय जिसमें नियोजित है --------
----

*(जो लागू न हो काट दीजिए)

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ----------------------- (नाम) द्वारा प्रस्तुत विकल्प कार्यालय में दिनांक ------------------- को प्राप्त हुआ ।

हस्ताक्षर ---------------------

पदनाम ----------------------

Naya Raipur, the 1st July 2017

NOTIFICATION

No. F 2016-04-03303/Finance/Rule/IV. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Chhattisgarh Work-charged and Contingency-paid Employees Revision of Pay Rules, 2017.

(2) These rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.

(3) These rules shall apply to all the members of Work-charged and Contingency-paid Employee Services, who are drawing their pay in existing pay structure.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"basic pay"** in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix but does not include any other type of pay like special pay, etc.;

(b) **"existing basic pay"** means pay drawn in the prescribed existing Pay Band and Grade Pay, but does not include any other type of pay like special pay, etc.;

(c) **"existing Pay Band and Grade Pay"** in relation to a member of service means the Pay Band and the Grade Pay applicable to the

post held by the member of service as on the date immediately before the notification of these rules;

(d) **"existing pay structure"** in relation to a member of service means the present system of Pay Band and Grade Pay applicable to the post held by the member of service as on the date immediately before coming into force of these rules;

(e) **"existing emoluments"** means the sum of (i) existing basic pay and (ii) existing dearness allowance at index average as on 1st day of January, 2016;

(f) **"level"** in the Pay Matrix shall mean the Level corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay specified in the Schedule-I;

(g) **"member of the service"** means a member of the Work-charged and Contingency-paid Employee Services, who is drawing pay in existing pay structure;

(h) **"pay matrix"** means Matrix specified in the Schedule-I, with levels of pay arranged in vertical cells as assigned to corresponding existing Pay Band and Grade Pay;

(i) **"pay in the Level"** means the pay drawn in appropriate Cell of the Level as specified in the Schedule-I;

(j) **"revised emoluments"** means the pay in the Level of a member of the service in the revised pay structure;

(k) **"revised pay structure"** in relation to a post means the Pay Matrix and the Level specified therein corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay of the post unless a different Level is notified separately for the post;

(l) **"service"** means the Work-charged and Contingency-paid Employees Services; and

(m) **"schedule"** means a schedule annexed to these rules.

3. **Level of posts.-** The Level of posts shall be determined in accordance with the various Levels as assigned to the corresponding existing Pay Band and Grade Pay as specified in the Pay Matrix.

4. **Drawal of pay in the revised pay structure.-** A member of Work-charged and contingency-paid service shall draw pay in the Level in the revised pay structure applicable to the post to which he is appointed:

Provided that a member of the service may elect to continue to draw pay in the existing pay structure until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing pay structure or until he vacates his post or ceases to draw pay in the existing pay structure:

Provided further that in cases where a member of the service has been placed in a higher Grade Pay between 1st day of January, 2016 and the date of notification of these rules, on account of promotion or upgradation, the member of the service may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion or upgradation, as the case may be.

Explanation:-

(1) The option to retain the existing pay structure under the provisos to this rule shall be admissible only in respect of one existing Pay Band and Grade Pay.

(2) The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or after the 1st day of January, 2016, whether for the first time in Government service or by transfer from another post, he shall be allowed pay only in the revised pay structure.

5. **Exercise of Option.-** (1) The option under the provisos to rule 4 shall be exercised in writing in the form appended to in the Schedule-II, so as to

reach the Authority mentioned in sub-rule (2) within three months of date of publication of these rules or where any revision in the existing pay structure is made by any order subsequent to that date, within three months of the date of such order:

Provided that,-

(i) in the case of a member of the service, who is on the date of such publication, or as the case may be, on the date of such order on leave or deputation out of State, the said option shall be exercised in writing so as to reach the said authority within three months of his taking charge of his post under the State Government;

(ii) where a member of the service is under suspension on the 1st day of January, 2016, the option may be exercised within three months of the date of his return to his duty, if that date is later than the date prescribed in this sub-rule; and

(iii) those members of the service who have retired after 1st January, 2016, and before publication of these rules, shall be entitled to exercise their options under this rule.

(2) The option shall be intimated by the member of the service to the head of his office.

(3) If the intimation regarding option is not received within the time mentioned in sub-rule (1), the member of the service shall be deemed to have elected to be governed by the revised pay structure with effect from the 1st day of January, 2016.

(4) The option once exercised shall be final. Cutting or overwriting in the option shall not be accepted.

Note 1- Persons whose services were terminated on or after the 1st day of January, 2016 and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of discharge on the expiry of the

sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge on disciplinary grounds, are entitled to the benefits of this rule.

Note 2- Persons who have died on or after the 1st day of January, 2016 and could not exercise the option within prescribed time limit are deemed to have opted for the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016 or such later date as is found most beneficial by the concerning authority, if the revised pay structure is more favorable and his pay may be fixed accordingly.

6. Fixation of pay in the revised pay structure.– (1) The initial pay of a member of the service who elects, or is deemed to have elected under sub-rule (3) of rule 5 to be governed by the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016, shall, unless in any case the State Government by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien if it had not been suspended, and in respect of his pay in the officiating post held by him, in the following manner, namely:-

(i) the pay in the applicable Level in the Pay Matrix shall be the pay obtained by multiplying the existing basic pay by a factor of 2.57, rounded off to the nearest rupee and the figure so arrived at will be located in that Level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the pay Matrix.

Illustration:-

1	Existing Pay Band : PB-1	Pay Band	5200-20200				
2	Existing Grade Pay : 1800	Grade Pay	1800	1900	2200	2400	2800
3	Existing Pay in Pay Band : 6330	Levels	3	4	5	6	7
		1	18000	19500	22400	25300	28700
4	Existing Basic Pay : 8130	2	18500	20100	23100	26100	29600

	(6330 + 1800)	3	19100	20700	23800	26900	30500
5	Pay after multiplication by a fitment factor of 2.57 : 8130 x 2.57 = 20894.10 (rounded off to 20894)	4	19700	21300	24500	27700	31400
		5	20300	21900	25200	28500	32300
		6	**20900**	22600	26000	29400	33300
		7	21500	23300	26800	30300	34300
6	Level corresponding to GP 1800 : Level 3	8	22100	24000	27600	31200	35300
		9	22800	24700	28400	32100	36400
7	Revised Pay in Pay Matrix (either equal to or next higher to 20894 in Level 3) : 20900	10	23500	25400	29300	33100	37500
		11	24200	26200	30200	34100	38600

(ii) if the minimum pay or the first Cell in the applicable Level is more than the amount arrived at as per sub-clause (i) above, the pay shall be fixed at minimum pay or the first Cell of that applicable Level.

(2) A member of the service, who is on leave on the 1st day of January, 2016 and is entitled to leave salary, shall become entitled to pay in the revised pay structure from 1st January, 2016 or the date of option for the revised pay structure.

(3) A member of the service under suspension shall continue to draw subsistence allowance based on the existing scale of pay or pay structure and his pay in the revised pay structure shall be subject to the final order on the pending disciplinary proceedings.

(4) Where the existing emoluments exceed the revised emoluments in the case of any member of the service, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

(5) Where in the fixation of pay under sub-rule (1), the pay of a member of the service, who, in the existing pay structure, was drawing immediately before the 1st day of January, 2016 more pay than another member of the service junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay structure in a Cell lower

than that of such junior, his pay shall be stepped up to the same Cell in the revised pay structure as that of the junior.

(6) Where a member of the service is in receipt of personal pay immediately before the date of notification of these rules, which together with his existing emoluments exceeds the revised emoluments, then, difference representing such excess shall be allowed to such member as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

(7) In cases where a senior member of the service promoted to a higher post before the 1st day of January, 2016 draws less pay in the revised pay structure than his junior, who is promoted to the higher post on or after the 1st day of January, 2016, the pay of senior member in the revised pay structure shall be stepped up to an amount equal to the pay as fixed for his junior in that higher post. The stepping up shall be done with effect from the date of promotion of the junior member of the service subject to the fulfillment of the following conditions, namely:-

(a) both the junior and the senior members belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted are identical in the same cadre.

(b) the existing pay structure and revised pay structure of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay are identical.

(c) the senior member at the time of promotion was drawing equal or more pay than the junior.

(d) the anomaly is a direct result of the application of the provisions of the Fundamental Rule 22 or any other rule or order regulating pay fixation on such promotion in the revised pay structure:

Provided that if the junior member was drawing more pay in the existing pay structure than that of senior by virtue of any advance

increments granted to him, the provision of this note shall not be invoked to step up the pay of the senior member.

7. **Fixation of pay in the revised pay structure of members of the service appointed as fresh recruits on or after 1st day of January, 2016.–** The pay of member of the service appointed by direct recruitment on or after 1st day of January, 2016 shall be fixed at the minimum pay or the first Cell in the Level, applicable to the post to which such employees are appointed:

Provided that where the existing pay of such member of the service appointed on or after 1st day of January, 2016 and before the date of notification of these rules, has already been fixed in existing pay structure and if his existing emoluments happen to exceed the minimum pay or the first Cell in the Level, as applicable to the post to which he is appointed on or after 1st day of January, 2016, such difference shall be paid as personal pay to be absorbed in future increments in pay.

8. **Increment in Pay Matrix.-** The increment shall be as specified in the vertical Cells of the applicable Level in the Pay Matrix.

Illustration:-

	Pay Band	5200-20200				
All employee in the Basic Pay of 33100 in Level 6 will move vertically down the same Level in the cells and on grant of increment, his basic pay will be 34100.	Grade Pay	1800	1900	2200	2400	2800
	Levels	3	4	5	6	7
	1	18000	19500	22400	25300	28700
	2	18500	20100	23100	26100	29600
	3	19100	20700	23800	26900	30500
	4	19700	21300	24500	27700	31400
	5	20300	21900	25200	28500	32300
	6	20900	22600	26000	29400	33300
	7	21500	23300	26800	30300	34300
	8	22100	24000	27600	31200	35300
	9	22800	24700	28400	32100	36400
	10	23500	25400	29300	**33100**	37500
					↓	
	11	24200	26200	30200	**34100**	38600

9. Date of next increment in revised pay structure.- (1) There shall be two dates for grant of increment namely, 1st January and 1st July of every year, instead of existing date of 1st July:

Provided that a member of the service shall be entitled to only one annual increment either on 1st January or 1st July depending on the date of his appointment, promotion or upgradation.

(2) The increment in respect of a member of the service appointed or promoted or granted financial upgradation during the period between 2nd day of January and 1st day of July (both inclusive) shall be granted on 1st day of January and the increment in respect of a member appointed or promoted or granted financial upgradation during the period between 2nd day of July and 1st day of January (both inclusive) shall be granted on 1st day of July.

Illustration:

(a) In case of a member of the service appointed or promoted in the normal hierarchy or granted financial upgradation during the period between the 2nd day of July, 2016 and the 1st day of January, 2017, the first increment shall accrue on the 1st day of July, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.

(b) In case of a member of the service appointed or promoted in the normal hierarchy or granted financial upgradation during the period between the 2nd day of January, 2016 and the 1st day of July, 2016, who did not draw any increment on 1st day of July, 2016, the next increment shall accrue on the 1st day of January, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis:

Provided that in case of a member of the service whose pay in the revised pay structure has been fixed as on 1st day of January,

the next increment in the level in which the pay was so fixed as on 1st day of January, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2016:

Provided further that the next increment after drawal of increment on 1st day of July, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2017.

10. **Fixation of pay in the revised pay structure subsequent to the 1st day of January, 2016.-** Where a member of the service continues to draw his pay in the existing pay structure and is brought over to the revised pay structure from a date later than the 1st day of January, 2016, his pay from the later date in the revised pay structure shall be fixed in the manner prescribed in clause (i) of sub-rule (1) of rule 6 of these rules.

11. **Fixation of pay on promotion on or after 1st day of January, 2016.–** For the fixation of pay in case of promotion from one Level to another in the revised pay structure one increment shall be given in the Level from which the member of the service is promoted and he shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the Level of the post to which promoted and if no such Cell is available in the level to which promoted, he shall be placed at the next higher Cell in that Level.

Illustration:-

1	Level in the revised pay structure : Level 3	Pay Band	5200-20200				
2	Basic Pay in the revised pay structure 20900	Grade Pay	1800	1900	2200	2400	2800
3	Granted Promotion in Level 4	Levels	3	4	5	6	7
		1	18000	19500	22400	25300	28700
4	Pay after giving one increment in Level 3: 21500	2	18500	20100	23100	26100	29600
		3	19100	20700	23800	26900	30500
5	Pay in the upgraded Level 4: 21900 (either equal to or next higher to 21500 in Level 3)	4	19700	21300	24500	27700	31400
		5	20300	**21900**	25200	28500	32300
		6	**20900**	22600	26000	29400	33300
		7	**21500**	23300	26800	30300	34300
		8	22100	24000	27600	31200	35300
		9	22800	24700	28400	32100	36400
		10	23500	25400	29300	33100	37500
		11	24200	26200	30200	34100	38600

12. Mode of payment of arrears of pay- The arrears shall be paid after the Government decision in this regard and orders will be issued separately.

Explanation.- For the purpose of this rule, "arrears of pay" in relation to a member of the service, means the difference between:-

(i) the aggregate of the pay and dearness allowance to which he is entitled on account of revision of his pay under these rules, for the period effective from the 1st day of January, 2016; and

(ii) the aggregate of the pay and dearness allowances to which he would have been entitled (whether such pay and dearness allowances have been received or not) for that period had his pay and allowances not been so revised.

13. Power to relax- The State Government may relax or suspend the operation of any of the provisions of these rules in the case of member of the service or category of member of the service in such a manner and to such extent as may appear to it, to be just and equitable or necessary or expedient in public interest.

14. Interpretation- If any question arises relating to interpretation of these rules, it shall be referred to Government in Finance Department, whose decision thereon shall be final.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. CHAKRABORTY, Joint Secretary.

SCHEDULE-I

Pay Matrix								
Pay Band	4750-7440		5200-20200					9300-34800
Grade Pay	1300	1400	1800	1900	2200	2400	2800	4200
Level	1	2	3	4	5	6	7	8
1	15600	16100	18000	19500	22400	25300	28700	35400
2	16100	16600	18500	20100	23100	26100	29600	36500
3	16600	17100	19100	20700	23800	26900	30500	37600
4	17100	17600	19700	21300	24500	27700	31400	38700
5	17600	18100	20300	21900	25200	28500	32300	39900
6	18100	18600	20900	22600	26000	29400	33300	41100
7	18600	19200	21500	23300	26800	30300	34300	42300
8	19200	19800	22100	24000	27600	31200	35300	43600
9	19800	20400	22800	24700	28400	32100	36400	44900
10	20400	21000	23500	25400	29300	33100	37500	46200
11	21000	21600	24200	26200	30200	34100	38600	47600
12	21600	22200	24900	27000	31100	35100	39800	49000
13	22200	22900	25600	27800	32000	36200	41000	50500
14	22900	23600	26400	28600	33000	37300	42200	52000
15	23600	24300	27200	29500	34000	38400	43500	53600
16	24300	25000	28000	30400	35000	39600	44800	55200
17	25000	25800	28800	31300	36100	40800	46100	56900
18	25800	26600	29700	32200	37200	42000	47500	58600
19	26600	27400	30600	33200	38300	43300	48900	60400
20	27400	28200	31500	34200	39400	44600	50400	62200
21	28200	29000	32400	35200	40600	45900	51900	64100
22	29000	29900	33400	36300	41800	47300	53500	66000
23	29900	30800	34400	37400	43100	48700	55100	68000
24	30800	31700	35400	38500	44400	50200	56800	70000
25	31700	32700	36500	39700	45700	51700	58500	72100
26	32700	33700	37600	40900	47100	53300	60300	74300
27	33700	34700	38700	42100	48500	54900	62100	76500
28	34700	35700	39900	43400	50000	56500	64000	78800
29	35700	36800	41100	44700	51500	58200	65900	81200
30	36800	37900	42300	46000	53000	59900	67900	83600
31	37900	39000	43600	47400	54600	61700	69900	86100
32	39000	40200	44900	48800	56200	63600	72000	88700
33	40200	41400	46200	50300	57900	65500	74200	91400
34	41400	42600	47600	51800	59600	67500	76400	94100
35	42600	43900	49000	53400	61400	69500	78700	96900
36	43900	45200	50500	55000	63200	71600	81100	99800
37	45200	46600	52000	56700	65100	73700	83500	102800
38	46600	48000	53600	58400	67100	75900	86000	105900
39	48000	49400	55200	60200	69100	78200	88600	109100
40	49400	50900	56900	62000	71200	80500	91300	112400

SCHEDULE-II

Form of Option

(See Rule-5)

I-- hereby elect to draw my pay in the Revised pay structure with effect from 1st January, 2016.

or

I -- hereby elect to continue on the existing pay band and grade pay of ---------------------------- of my substantive/officiating Post of ------------------------------ until

* (a) The date of my next increment

or *(b) The date of subsequent increment raising my band pay to Rs. ---------------------------------

or * (c) I vacate the post or cease to draw pay in the existing pay band and grade pay of -------------------------------

Station ------------------------
Date ---------------------------
Signature -----------------------------
Name ---------------------------------
Designation -------------------------
Office in which employed ----------
----

* (strike off if inapplicable)

FOR OFFICE USE ONLY

Certified that the option submitted by Shri/Smt./Ku.----------- ----------------------------------- (name) is received in the office on ---------- --

Signature ------------------------------
Designation ---------------------------

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.